

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :- प.1(1)कार्मिक/निजी चिकि./2010-11/3724

दिनांक :- 18/11/11

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा के कुल बिल पर 15 प्रतिशत की छूट देय होगी :-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1	इन्टरनेशनल फर्टिलिटी एण्ड हेल्थकेयर, डॉ. जार्ज टावर, 456 सवाई राम सिंह रोड़, आरबीआई के पास, जयपुर।	0141-2565555 2576319
2	डॉ. रायचौधरी इन्स्टीट्यूट ऑफ युरोलॉजी एण्ड लेपरोस्कोपिक सर्जरी, ए-4-बी, तिलक मार्ग उद्योग भवन के सामने, सी-स्कीम, जयपुर।	0141- 2226129 2225475
3	होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, ई-30, सिद्धार्थ नगर, सेक्टर-9 मालवीय नगर, जयपुर।	0141- 3122126 9414278851
4	प्रकाश मंदर एण्ड चाइल्ड हॉस्पिटल, सेक्टर-6 हल्दी घाटी मार्ग, बजरी मण्डी, प्रताप नगर, टोंक रोड़, जयपुर।	0141- 2791206 2793609
5	शारदा डेंटल हॉस्पिटल एण्ड एस्थेटिक सेन्टर, 93/एस-26, शिप्रापथ कार्नर, अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर।	9414340674

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्ण अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि.स. एवं मु.ले.अ., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
6. संबंधित हॉस्पिटल
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)रा0आ0म0 जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

सचिव 18/11/11